न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
11 / 2024	12.09.2024	20.05.2026

1. पूरणमल उर्फ पूरणचन्द पिता सुआलाल ब्राहाण निवासी कानेटी तहसील खण्डार।
2. छोटया उर्फ महेश कुमार पिता सुआलाल ब्राहाण निवासी कानेटी तहसील खण्डार।
3. शिवजी उर्फ शिवशंकर पिता सुआलाल ब्राहाण निवासी कानेटी तहसील खण्डार।
4. ओमप्रकाश उर्फ उमाशंकर पिता सुआलाल ब्राहाण निवासी कानेटी तहसील खण्डार।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार खण्डार।

रेस्पोन्टस्गण

अपील नामान्तकरण संख्या 70 ग्राम कानेटी, ग्राम पंचायत क्यारदा कलां

उपस्थिति :—

श्री रमेश चन्द तैहरिया अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रस्तुत अपील अपीलान्टस की ओर से राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 75 के विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 70 ग्राम पंचायत क्यारदा कलां के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्टस द्वारा अपील निम्न प्रकार पेश की गई है कि

   - यह कि आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा बांके ग्राम कानेटी तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। जो कि अपीलांट के पिता सुवालाल पुत्र हाबूलाल शर्मा निवासी कानेटी के नाम थी
   - यह कि अपीलांट के पिता के स्वर्गवास के बाद उक्त जमीन का नामांतकरण विरासत का नामांतकरण अपीलांट व उनके भाई स्वर्गीय जुगलकिशोर, जगदीश, पूरनचंद, कैलाशचंद, छोट्या, शिवजी , ओमप्रकाश पि. सुवालाल के नाम खुला । अपीलांट के भाई जगदीश, जुगलकिशोर का स्वर्गवास हो गया है।
   - यह कि उक्त नामांतकरण खोलते समय पूरणचंद का नाम पूरणमल कर दिया गया जबकि पूरणचन्द ही सही नाम है एवं समस्त दस्तावेजो में अपीलांट का नाम पूरणचन्द ही है। इसी प्रकार महेश कुमार का नाम छोट्या कर दिया गया जबकि महेश कुमार का नाम छोट्या न होकर के महेश कुमार सही नाम है। एवं समस्त दस्तावेजो में महेश कुमार ही नाम है। इसी प्रकार अपीलांट शिवशंकर का नाम शिवजी कर दिया गया जबकि शिवशंकर ही सही नाम है। इसी प्रकार उपरोक्त नामांतकरण में उमाशंकर का नाम ओमप्रकाश कर दिया गया जबकि ओमप्रकाश का सही नाम उमाशंकर है।
   - यह कि अपीलांटगण के समस्त दस्तावेजो राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र में सही नाम पूरणमल का पूरणचन्द, छोट्या का महेश कुमार, शिवजी का शिवशंकर ओमप्रकाश का उमा शंकर है।
   - यह कि उक्त नामांतकरण खोलने से पूर्व संबधीत रेवेन्यू अधिकारी द्वारा कोई किसी प्रकार की जांच नहीं की गई । न ही नामांतकरण नियम 131 से लेकर 135 तक के नियमो की जांच की गई ।
   - यह कि उक्त नामांतकरण खोलते समय सहवन भुल से उक्त त्रुटि हुई है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स0मा0)

- यह कि अपीलांटगण को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह उनका पिता के जमीन का विरासत का नामांतकरण जो खुला है उसमें उनके नाम गलत हो गये है अपीलांटस दि. 06.08.2024 को हल्का पटवारी से मिलने के लिए गये और उन्हे उपरोक्त नाम सही करने के लिए कहा तो उन्होने नामांतकरण की नकल दि. 8–8–24 को तैयार करके दी तब सर्वप्रथम जानकारी हुई की अपीलांट्स के नाम नामांतकरण में ही गलत लिख दिये गये है और हल्का पटवारी ने कहा कि बिना न्यायालय के आदेश से हम इनको ठीक नहीं कर सकते इसलिये अपीलांट को यह अपील पेश करना आवश्यक हुआ । एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 प्रथक से पेश है।
- यह कि अपील श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है। अपील निश्चित कोर्ट फीस पर पेश है।
- अतः अपील अपीलांटगण पेश कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत क्यारदा कला द्वारा खोले गये नामांतकरण सं. 70 दिनांक 4 जून 1970–71 को निरस्त कर एवं पुन नये शिरे से अपीलांट पूरणमल का नाम पूरणचन्द छोट्या का नाम महेश कुमार, शिवजी का नाम शिवशंकर व ओमप्रकाश का नाम उमाशंकर नये शिरे से खोलने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. अपील पेश होने पर कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रैस्पो0 को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। तहसीलदार खण्डार से मूल नामान्तकरण तलब किया गया।

3. वकील अपीलाण्ट बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया। न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित है। नामान्तरकरण संख्या 70 द्वारा सुआलाल पुत्र हाबूलाल शर्मा की मृत्यु हो जाने के उपरान्त विरासत का नामान्तरण जुगलकिशोर, जगदीश, पूरनचंद, कैलाशचंद, छोट्या, शिवजी, ओमप्रकाश पि. सुआलाल के नाम दर्ज हुआ। उक्त नामान्तकरण के आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया है। मूल नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण पर नामान्तकरण स्वीकार है अंकित है किन्तु ना तो स्वीकार की कोई तिथी अंकित है और न ही सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त नामां. पूर्ण रूप से तस्दीक नहीं हुआ है व निरस्त योग्य है। उपरोक्त विवेचन अनुसार नामांतरकरण संख्या 70 निरस्त किया जाना उचित समझते है।

आदेश

4. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 04.06.1970 ग्राम कानेटी निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार खण्डार को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिया जाता है कि पुनः जाचं कर विधि अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)